भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE

Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006

बीछ्वाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

पत्रावली क्रमांक:07(ii)07/CS/FPA/2020-21/ 6957 दिनांक: 10.01.2022.

By Hand

सेवामें,

श्रीमान घनश्यामदान पुत्र श्री किशनदान,
गांव–देशनोक ग्रामीण ढाणी,
तहसील–बीकानेर
जिला– बीकानेर।

विषय:- संस्थान प्रक्षेत्र के विभिन्न प्रखण्डो में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1850 बेर के पौधो में लगे हुए फलों की खुली नीलामी बाबत।

संदर्भ:- 1.बेर फलों की खुली नीलामी दिनांक: 29.12.2021.
2. आपका अनुबंध पत्र दिनांक: 10.01.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है उपरोक्त नीलामी हेतु आपके द्वारा लगाई गई अधिकतम बोली रु.1,86,000/- (Rs. One Lakh Eighty Six thousand only) एवं फर्म द्वारा प्रस्तुत अनुबंध विलेख को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है एवम फर्म द्वारा बोली की पूर्ण राशि जमा करवा दी गई है (क्रमश: रु.2500/- टी.आर.-5 सं.483 दि:29.12.2021 + रु.62,000/- टी.आर.-5 सं.484 दि:29.12.2021 एवम डी.डी. कमांक 328793 दिनांक 04.01.2022 रु. 124000.00 अनुसार)। अत: आप संस्थान के प्रभारी फार्म से सम्पर्क करते हुए उपरोक्त वृक्षों के फलों की तुडाई का कार्य तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित शर्तों पर आरम्भ करें:-

1. बेर के जिन फलों की नीलामी की जानी है, इस बाबत किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु संस्थान के प्रभारी फार्म से संपर्क किया जा सकता है।
2. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फलों की तुडाई के दौरान बेर वृक्षों और संस्थान के अन्य बगीचों/वृक्षों एवं अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुचें। बेर बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
3. संस्थान से कार्यादेश पत्र मिलने के पश्चात बेर फलों के तुडाई का कार्य कार्यादेश जारी होने के तीन माह या मार्च अन्त तक में पूर्ण कर लेना होगा। तत्पश्चात ठेकेदार का कोई हक बेर फलों पर नही रहेगा। इस अवधि में बेर फलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदार का ही होगा।
4. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं इसकि लिये संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।
5. फलों की तुडाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (बेर खण्ड) की देखरेख में प्रात: 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य ही संपन्न करना होगा। रविवार को फलों की तुडाई नही होगी। प्रत्येक पौधे से प्राप्त फलों का वजन लेने के पश्चात ही ठेकेदार को फल ले जायेगें। संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को फलों के तुडाई के लिये नही लगाना होगा अन्यथा ठेका तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा। तोडे गये फलों को संस्थान के बाहर ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है।

...2...

6. जहॉ भी आवश्यक हो वहॉ संस्थान के अनुसंधान कार्यो के लिये बेर प्रखण्ड में से प्रत्येक किस्म के 500 ग्राम बेर फल ठेकेदार द्वारा संस्थान को निशुल्क उपलब्ध कराने होंगे।
7. संस्थान से कार्यादेश पत्र मिलने के पश्चात बेर फलों के तुडाई का कार्य कार्यादेश जारी होने के तीन माह या मार्च अन्त तक में पूर्ण कर लेना होगा। तत्पश्चात ठेकेदार का कोई हक बेर फलों पर नही रहेगा। इस अवधि में बेर फलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदार का ही होगा।
8. फलों की तुडाई, भंडारण, रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही करायेगा।
9. किसी भी प्राकृतिक आपदा (पाला, वर्षा, आंधी-तुफान, पशुओं एवं पक्षीयों से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से फलों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी।
10. तुडाई अनुबंध के कार्य संपादन हेतु लगाए जानेवाले श्रमिकों को मजदुरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से इसके लिए उत्तरदायी नही होगा।
11. ठेकेदार (सफल बोलीदाता) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुनर्भतान (Refund) तुडाई का कार्य पुर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) एवं बैंक खाते की जानकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी
12. भारत सरकार/राजस्थान सरकार/जिला अधिकारी द्वारा जारी कोविड गाईडलाईनों/ नियमों की अनुपालना करना अनिवार्य होगा।

भवदीय,

(रमेश)

प्रशासनिक अधिकारी